::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण ,वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र 8बी/यू0सी0पी0/06/201/2016/ एफ0सी0/531 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिगंवाड़ा से सौड़ू रानीताल मोल्टा तक मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 हे0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या 01 में उल्लेख किया गया है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.975 है0 ग्राम –झनाऊ की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा । भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के फलस्वरूपक्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झनाऊ पट्टी चन्द्रबदनी के खाता सं 12 के खसरा सं0 1474/2. 287,3374/0.314, 3378/0.314,1581/0.060 कुल रक्वा 2.975हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)ड़ (राजस्व विभाग के नियत्रंणाधीन) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु तहसीलदार देवप्रयाग के पत्र सं0 1650/र0का0–(भूमि प्रस्ताव)–2021 दिनांक जनवरी,08,2021 एंव उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र संख्या–24/र0का0(वन भूमि हस्ता0) दिनांक कीर्तिनगर जनवरी 09.2021 के द्वारा संयुक्त जांच आख्यानुसार निम्नवत् भूमि प्रस्तावित की गई है:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
झनाऊ	चन्द्रबदनी	12	1474	2.287हे0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			3374	0.314	
			3378	0.314	
			1581म0	0.060	
योग			04	**2.975हे0**	

प्रस्तावित लिगंवाडा से सौड़ू रानीताल मोल्टा तक मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव उपरोक्त शासनादेश के क्रम में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 2.975 है0 सिविल भूमि(राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन) उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–519 /XXVI–A(2018–19)दिनांक,नई टिहरी, जुलाई,12,2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मूनिकीरेती।
6– अधिशासी अभियन्ता,अ0ख0,लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर ,मुख्यालय–श्रीनगर
7– उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
8– तहसीलदार देवप्रयाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Scanned By Scanner Go